फर्द अहकाम नं०प्र० 201/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भूराराम प्र/ सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुई

26/02/24

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। उभय पक्षो की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी मदनलाल के पिता भूराराम पुत्र श्री झाबर के नाम से कृषि भूमि वाके चक 8 एनआरडी के प0न0 97/312 (2) के किला न. 5–6–15–16/1.0120है0, 24/2 मे 0.050है0, 25/0.2530है0=1.3150है0कमाण्ड, प0न0 96/312 (3) के किला न. 1/1 मे 0.2280है0, 10/1 मे 0.228है0, 11/1 मे 0.228है0, 20/1 मे 0.228है0 21/1 मे 0.228है0, 22/1 मे 0.051है कुल 2.506है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हे। जैरवाद रकबा के दोनो पत्थरो के मध्य प0न0 96/312 के किला न. 1/1–10/1–11/1–20/1–21/1 प्रत्येक मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है। प्रार्थी के पिता लघु काश्तकार है उक्त गै.मु.रास्ता के कारण जैरवाद रकबा के दो टुकडो हो गये जिसके कारण काश्त करने मे काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है प0न0 96/312 (3) के किला न. 21/1 मे सिचाई विभाग का पक्का नक्का मय पक्का खाला बनाया हुआ इस कारण जैरवाद रकबा मे गै.मु.रास्ता को प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि एक साईड मे किया जावे ताकि जैरवाद रकबा के दो टुकड़े न हो और प्रार्थी हरिजन जाति का सदस्य है तथा जैरवाद रकबा के लघु काश्तकार आसानी से कृषि कर सके। इसलिए उक्त जैरवाद रकबा मे गै.मु.रास्ता की भूमि को 96/312–97/312 की एक साईड मे करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी अभिभाषक ने उक्त पत्रावली के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी न. 2 के नाम चक 8 एनआरडी के प0न0 98/313, खाता संख्या 56/41 मे 3.163है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अप्रार्थी न. 2 के खातेदार भूमि मे प0न0 96/312 के किला न. 1/1–10/1–11/1–20/1–21/1 मे गै0मु0रास्ता से होकर अप्रार्थी न. 2/1 से 2/3 अपनी भूमि मे आवागमन करते आ रहे है। उक्त जैरवाद रकबा के किला न. 1/1–10/1–11/1–20/1–21/1पूर्वी पासा मे करने से अप्रार्थी न. 2/1 से 2/3 की खातेदार भूमि मे आवागमन मे बाधा उत्पन्न होती है इसलिए उक्त जैरवाद रकबा प0न0 96/312 के किला न. 1/1–10/1–11/1–20/1–21/1 के पश्चिम पासा गै0मु0रास्ता दर्ज किया जावे। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्षो की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकर किया गया। उक्त जैरवाद रकबा प0न0 96/312 के किला न. 1/1–10/1–11/1–20/1–21/1 मे गै0मु0रास्ता से प्रार्थी मदन के पिता भूराराम के रकबा के दो टुकड़े होते जिसके कारण उक्त कृषि भूमि को काश्त करना बेहद मुश्किल है। तथा अप्रार्थी न. 2/1–2/3 की खातेदार भूमि मे आवागमन को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी मदन के पिता भूराराम के नाम जमाबन्दी वाके चक 8 एनआरडी के प0न0 96/312 के किला न. 1/1–10/1–11/1–20/1–21/1 प्रत्येक मे 0.0250है0 गै0मु0रास्ता को कलमजन कर प0न0 97/312 के किला न. 5–6–15–16–25 प्रत्येक मे 0.025है0 पश्चिम पासा मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है व इसी अनुसार नक्शा मे अंकन किया जाने का आदेश दिये जाते हे। आदेश की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)